

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
समक्ष गोपेश गर्ग

प्रकरण क्रमांक : 78ए/2014

संस्थापन दिनांक 05.04.2006

- 1 मुन्नालाल वासुदेव प्रसाद आयु 54 वर्ष जाति ब्राम्हण
निवासी वार्ड नं0 10 बड़ा बाजार गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

— वादी

बनाम

- 1 संतोष कुमार पुत्र सत्यनारायण आयु 30 वर्ष जाति
ब्राम्हण.....**फौत विधिक प्रतिनिधि**
1अ—मु0रेखा बेबा संतोष आयु 40 वर्ष
1ब—संजू पुत्र संतोष आयु 14 वर्ष नाबालिग,
सरपरस्त मां स्वयं मु0 रेखा बेबा संतोष निवासीगण
माता वाली गली मेहगांव जिला भिण्ड
- 2 मु0 कैलाशीबाई पत्नी स्व0 सत्यनारायण आयु 60 वर्ष
जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नं0 10 बड़ा बाजार गोहद
जिला भिण्ड
- 3 वीरेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र छोटोलाल
- 4 इन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल आयु 30 वर्ष जाति ब्राम्हण
निवासीगण वार्ड नं0 10 बड़ा बाजार गोहद जिला
भिण्ड
- 5 म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0
- 6 सरस्वती पत्नी बाबूलाल आयु 70 वर्ष ढोलीबुआ का
पुल ग्वालियर
- 7 बालकृष्ण आयु 70 वर्ष पुत्र बैजनाथसिंह निवासी
टोहली बडेरा तहसील मुरार जिला
ग्वालियर.....**मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि**
7अ—रमा पत्नी लखनलाल आयु 58 वर्ष पुत्री
बालकृष्ण जाति ब्राम्हण निवासी स्टेशन के पास मुरैना
7ब—संतोष पुत्र बालकृष्ण आयु 52 वर्ष जाति ब्राम्हण
निवासी टोहली (बडेरा) मुरार

7स-गीता पत्नी जुगलकिशोर आयु 50 वर्ष पुत्री
बालकृष्ण जाति ब्राम्हण निवासी बस स्टैण्ड के पास
मुरैना

7द-राधा पत्नी राकेश कुमार पुत्री बालकृष्ण आयु 45
साल जाति ब्राम्हण निवासी निबुआपुरा मुरार

7इ-संजीव पुत्र बालकृष्ण आयु 40 साल जाति
ब्राम्हण निवासी बडेरा (टोहली) मुरार

8 सुरेश पुत्र बैजनाथ आयु 60 वर्ष निवासी बडेरा
(टोहली) तहसील मुरार जिला ग्वालियर

– प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. यह वाद भूमि सर्वे क्रमांक 445 रकवा 0.27 आरे, 447 रकवा 0.31 आरे, 448 रकवा 0.34 आरे, 465 रकवा 0.07 आरे, 466 रकवा 0.58 आरे, 467 रकवा 0.58 आरे, 468 रकवा 0.47 आरे, 469 रकवा 0.44 आरे, 470 रकवा 0.15 आरे, 472 रकवा 0.50 आरे, 449 रकवा 0.30 आरे कुल किता 11 कुल रकवा 5.01 आरे जिसके बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2195, 2201, 2196, 2197/1, 2197/2, 2217, 2218, 2220, 2222, 2223, 2121, 2221, 2223, 2224 थे स्थित मौजा गंगादास का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा) के 1/3 भाग पर वादी की स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा, वादी के राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने की घोषणा और प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि के 1/3 भाग को अवैध रूप से हस्तांतरित न करने और वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जो बनारस विद्यालय के मिताक्षरा सिद्धांतों से परिचालित है। सजरा खानदान के अनुसार लोकमन के चार पुत्र मृतक ग्यादीन, गोपीराम, निःसंतान मृत लज्जाराम, वासुदेव और जयन्ती प्रसाद हैं। ग्यादीन की संतान मृतक छोटेलाल, मृतक बाबूलाल व निःसंतान मृतक प्रेमदास हैं। गोपीराम की संतान सत्यनारायण हैं। मृतक वासुदेव की संतान वादी मुन्नालाल व.सा.1 है। सत्यनारायण की संतान संतोष और कैलाशीबाई हैं। छोटेलाल की संतान वीरेन्द्र कुमार और बाबूलाल की संतान इन्द्रकुमार है। जयन्ती प्रसाद की 60 वर्ष पूर्व वासुदेव की 51 वर्ष पूर्व लोकमन के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। लोकमन की मृत्यु 48 वर्ष पूर्व हुई। जिनके उत्तराधिकारी ग्यादीन, गोपीराम, लज्जाराम और मुन्नालाल व.सा.1 थे। लज्जाराम साधु होकर घर छोड़कर चले गये। जिनकी निःसंतान मृत्यु हो गयी। लोकमन की मृत्यु के समय मुन्नालाल व.सा.1 की आयु 5-6 वर्ष थी। लोकमन के उत्तराधिकारी ग्यादीन, गोपीराम, और मुन्नालाल व.सा.1 हैं। ग्यादीन पंचायत सचिव थे और बाहर नौकरी करते थे। गोपीराम खेती व औपचारिक कार्य देखते थे। जिसे लोकमन की मृत्यु के बाद लोकमन के उत्तराधिकारियों का नामांतरण कराने के लिए अधिकृत किया था। अतः विवादित

भूमि के 1/3 भाग पर मुन्नालाल व.सा.1 का स्वत्व है व शेष 1/3 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 व शेष 1/3 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 का स्वत्व है।

3. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि लोकमन ने विवादित भूमि के अलावा भी गोहद रमनपुरा मौजे में स्थित कृषि भूमि का अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्थापन कर उक्त मौजे की कुछ भूमि ग्यादीन, गोपीराम और वासुदेव को दी थी व उनके नाम करा दी और विवादित भूमि लज्जाराम के लिए अपने पास रख ली। लोकमन अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर खेती करते रहे और लोकमन की मृत्यु के बाद ग्यादीन, गोपीराम, मुन्नालाल व.सा.1 समान भाग कब्जेधारी हुए और वादी अपने 1/3 भाग पर काबिज होकर खेती कर रहा है। विवादित भूमि का बंटवारा या पारिवारिक व्यवस्थापन नहीं हुआ है। दिनांक 14.01.06 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने विवादित भूमि को विक्रय करने का ऐलान किया तब वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने विवादित जमीन अपने नाम करा ली और वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। तब वादी ने राजस्व दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की। तब ज्ञात हुआ कि गोपीराम ने विवादित भूमि पर अपना नामांतरण कराया है और गोपीराम की मृत्यु के बाद सत्यनारायण और सत्यनारायण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने गोपनीय कार्यवाही कर विवादित भूमि अपने नाम नामांतरित करा ली है। वादी का विवादित भूमि पर 45 वर्ष से प्रतिवादीण की जानकारी में निर्विघ्न कब्जा चला आ रहा है। इसलिए विरोधी व आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि पर वादी का वैकल्पिक स्वत्व है। अतः विवादित भूमि पर 1/3 भाग पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य घोषित किए जाने और राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराने के अधिकार 1 होने की घोषणा और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करने और वादी के भाग को हस्तांतरित न करने की निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

4. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर जवाबदावा पेश कर व्यक्त किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार नहीं है। अलग-अलग परिवार है। तीन पीढ़ी से अधिक पुराना सजरा खानदान होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं है कि गोपीराम ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा जमींदार थे और जमींदारी काल में ही प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा व वादी के पिता का बंटवारा हो गया और बंटवारे के बाद से प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा विवादित भूमि पर अपने जीवनकाल में आधिपत्यधारी रहे उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित भूमि पर खेती की और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 विवादित भूमि पर खेती कर रहे हैं और तदनुसार ही नामांतरण होता गया। रमनपुरा और गोहद मौजे के संबंध में पारिवारिक व्यवस्थापन नहीं हुआ। वादी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। वादी के पुत्र सुनील भट्टे की हत्या हो गयी थी जिसका मिथ्या आरोप प्रतिवादी क्रमांक 1 की बहन और प्रतिवादी क्रमांक 2 की पुत्री मीरा प्र.सा.3 पर लगाकर जमीन हड़पना चाहा। लज्जाराम अपने जीवनकाल में ही अपनी संपत्ति का व्यवस्थापन कर रहे थे। वादी 34 वर्ष पूर्व बालिग हो चुका है इस कारण बेरून मियाद पेश किया गया है। वादी ने सही मूल्यांकन नहीं किया है। लोकमन की मृत्यु के समय उनकी पुत्रियां बैजन्तीबाई और सरस्वतीबाई प्र.सा.2 मौजूद थीं और वाद पत्र के अभिवचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि में उत्तराधिकार प्राप्त था। सरस्वती प्र.सा.2 और बैजन्तीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार थीं इस कारण

प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। अतः वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण एकपक्षीय रहे हैं जिनके द्वारा वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जा रहा है

वाद प्रश्न

विनिश्चय

1. क्या वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर मिताक्षरा सिद्धांत बनारस स्कूल से शासित हैं ?

2अ. क्या विवादित राजस्व भूमियां स्व0 लोकमन से प्राप्त वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 की पैतृक व संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्तियां हैं यदि हां तो ?

2ब. क्या विवादित राजस्व भूमियों के 1/3 भाग का वादी भूमिस्वामी आधिपत्यधारी है ?

3. क्या वादी द्वारा वाद पत्र का उचित मूल्यांकन किया है ?

4. क्या वादी ने समुचित न्यायशुल्क अदा किया है ?

5. क्या वाद इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्र का है ?

6. सहायता एवं व्यय ?

7. क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?

8. क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 01, 02अ, 2ब पर सकारण निष्कर्ष //

7. मुन्नालाल व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वादी और प्रतिवादीगण का एक ही परिवार का है जो हिन्दू बनारस स्कूल से शासित है। विवादित भूमि पहले गोहद मौजे में थी अब गंगादास पुरा मौजे में है जिसके भूस्वामी व आधिपत्यधारी लोकमन रहे और लोकमन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ग्यादीन, गोपीराम, लज्जाराम और वादी थे वादी का 1/3 भाग पर

स्वत्व है और लगातार कब्जा चला आ रहा है। लज्जाराम साधु होकर निःसंतान मृत हो गये। अतः लज्जाराम के भी ग्यादीन, गोपीराम, और वादी उत्तराधिकारी हैं। ग्यादीन पंचायत सेक्रेटरी होने के कारण नौकरी करता था और वादी की आयु लोकमन की मृत्यु के समय 5-6 वर्ष थी इसलिए जमींदारी प्रतिवादी क्रमांक 1 के बाबा गोपीराम की थी जो सभी की देखभाल करते थे। इसलिए गोपीराम से लोकमन की मृत्यु के बाद सभी वारिसों का नामांतरण कराने को कहा था। वादी को विश्वास था कि गोपीराम ने वादी का नामांतरण करा दिया होगा। विवादित भूमि शामिल खाता है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है और सभी का संयुक्त कब्जा है। दिनांक 14.01.06 को प्रतिवादी संतोष व उसकी मां ने विवादित भूमि बेचने की बात की। विवादित भूमि पर 45 वर्ष से वादी का कब्जा है। जिसे कभी नहीं हटाया गया। इस कारण वादी को विवादित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार हासिल हो गये हैं।

8. साक्षी रामकिशन व.सा.2 एवं रामेश्वर व.सा.3 ने भी वादी के कथन का समर्थन किया है कि वादी और प्रतिवादीगण का संयुक्त परिवार है। लोकमन व लज्जाराम की मृत्यु के बाद उनके वारिस ग्यादीन, गोपीराम और वादी मुन्नालाल व.सा.1 हुए और मुन्नालाल व.सा.1 का 1/3 भाग पर कब्जा 45 वर्ष से है। ग्यादीन बाहर नौकरी करता था और गोपीराम भी गृहस्थी और औपचारिक कार्य देखता था मुन्नालाल व.सा.1 लावारिस था जिसकी देखभाल भी गोपीराम करता था और प्रतिवादी संतोष व उसकी मां संपूर्ण विवादित भूमि बेचना चाहते हैं। साक्षी रामेश्वर व.सा.3 ने भी वादी के कथन का समर्थन किया है कि संक्रांति पर उससे संतोष व कैलाशी प्र.सा.1 ने विवादित भूमि बेचने के लिए ग्राहक तलाशने के लिए कहा था।
9. कैलाशी प्र.सा.1 ने कथन किया है कि उसका व मुन्नालाल व.सा.1 का संयुक्त परिवार नहीं है अलग-अलग परिवार है उसके ससुर गोपीराम ने अलग रहने के कारण कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई उसके अजिया ससुर व ससुर जमींदार हैं जिनके जीवनकाल में ही बंटवारा हो गया था। जब तक वी जीवित रहे विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद उसके पति और पति की मृत्यु के बाद उसका और संतोष का नामांतरण हुआ तथा वही खेती कर रहे हैं। उन्होंने जमीन बेचने की धौंस नहीं दी। सुनील भट्टेले की हत्या का मिथ्या आरोप उसकी पुत्री पर लगाकर जमीन हड़पने के लिए यह झूठा दावा पेश किया है।
10. सरस्वती प्र.सा.2 ने भी मुख्यपरीक्षण में कैलाशी प्र.सा.1 के कथन के समर्थन पर कथन किया है कि उसका जन्म गोहद में हुआ है जहां वह पली बड़ी है और शादी के बाद ससुराल में रह रही है परन्तु उसका गोहद आना जाना है। वादी उसका भतीजा और कैलाशी प्र.सा.1 उसकी भतीजी है। वादीगण और प्रतिवादीगण का जमींदारी काल में बंटवारा हो गया था जो अलग-अलग रह रहे हैं। विवादित भूमि से वादी का संबंध नहीं है। सुनील भट्टेले की हत्या का असत्य मुकद्दमा मीरा प्र.सा.3 पर लगाया था। जमींदारी काल से ही वादी व प्रतिवादीगण की अलग-अलग खेती हो रही है।
11. मीरा प्र.सा.3 ने भी मुख्यपरीक्षण में कैलाशी प्र.सा.1 के कथन का समर्थन कर कथन किया है कि वह गोहद में पली बड़ी है और अपने माता पिता के साथ घर और खेती का कार्य देखती थी क्योंकि उसके पिता अपाहिज थे। वह अपने भाई के साथ खेती करने जाती थी। उसके माता पिता वादी मुन्नालाल व.सा. 1 से अलग रहते थे और अलग खेती करते थे। उसकी माता और भाई को अलग जमीन प्राप्त हुई जिस पर वह काबिज होकर खेती कर रही है। मुन्नालाल व.सा.1

के पुत्र की हत्या का मिथ्या आरोप उस पर लगाया था जो संचालित है और जमीन हड़पने के लिए यह असत्य दावा पेश किया है।

12. वादी ने विवादित भूमि का री-नंबरिंग पर्चा प्र0पी-8 पेश किया है जिसमें बंदोवस्त के पूर्व व बंदोवस्त के उपरांत के नंबर उल्लिखित हैं। वादी ने विवादित भूमि के बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक के अधिकार अभिलेख, खसरा संवत् 2006 प्र0पी-4 प्रस्तुत किया है जिसमें सर्वे क्रमांक 1294 लोकमन आदि के स्वत्व में उल्लिखित है। खसरा प्र0पी-5 संवत् 2008 पेश किया है जिसमें भी सर्वे क्रमांक 1294 लोकमन के स्वत्व में उल्लिखित है। वादी ने खसरा संवत् 2015 लगायत 2019 प्र0पी-6 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि लोकमन के स्वत्व में उल्लिखित है और संवत् 2017 में लोकमन के स्थान पर गोपीराम का नामांतरण स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। खसरा प्र0पी-7 संवत् 2046 लगायत 2050 में विवादित भूमि सत्यनारायण के स्वत्व में उल्लिखित है और सत्यनारायण के स्थान पर संतोष कुमार व कैलाशीबाई का नामांतरण होना उल्लिखित है। खसरा प्र0पी-10 संवत् 2062 में विवादित भूमि संतोष कुमार व कैलाशीबाई के स्वत्व में उल्लिखित है। वादी ने विवादित भूमि का खसरा प्र0पी-11 संवत् 2057 लगायत 2061 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित भूमि संतोष और कैलाशी प्र.सा.1 के संयुक्त स्वत्व में उल्लिखित है। वादी ने विवादित भूमि का अक्स प्र0पी-9 प्रस्तुत किया है।
13. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने खसरा संवत् 2031 लगायत 2035 प्र0डी-1 प्रस्तुत किया है। जिसमें विवादित भूमि गोपीराम के स्वत्व में उल्लिखित है और सर्वे क्रमांक 2217 सत्यनारायण के स्वत्व में उल्लिखित है। खसरा प्र0डी-2 संवत् 2036 लगायत 2040 में विवादित भूमि सत्यनारायण के स्वत्व में उल्लिखित है और खसरा प्र0डी-3 संवत् 2046 लगायत 2050 में सत्यनारायण के स्थान पर संतोष और कैलाशीबाई का नामांतरण स्वीकार किया जाना उल्लिखित है। खसरा प्र0डी-4 संवत् 2052 लगायत 2056, खसरा प्र0डी-5 वर्ष 2006-07 में विवादित भूमि संतोष कुमार और कैलाशीबाई के स्वत्व में उल्लिखित है।
14. वादी ने लोकमन के उत्तराधिकारी के रूप में 1/3 भाग पर स्वत्व की प्रार्थना की है। परन्तु प्रतिवादी के अभिवचन के अनुसार गोपीराम जो जमींदार थे और वासुदेव का बंटवारा हो चुका है और तब से विवादित भूमि पर गोपीराम और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे हैं जिनका नामांतरण भी हो गया है। मुन्नालाल व.सा.1 ने पैरा 14 में स्वीकार किया है कि जमींदारी के जमाने में उसका और प्रतिवादीगण की जमीन का बंटवारा हो गया था। रामकिशन व.सा.2 ने भी पैरा 6 में कथन किया है कि वादी और प्रतिवादी 25-30 साल से अलग-अलग रहते हैं। रामेश्वर व.सा.3 ने भी पैरा 5 में स्वीकार किया है कि वादी और प्रतिवादी 20 साल से अलग रह रहे हैं और 20 साल से वादी की खेती और गृहस्थी अलग-अलग हैं। अतः तीनों वादी साक्षीगण ने वादी और प्रतिवादीगण की भूमि प्रथक-प्रथक होना स्वीकार कर प्रतिवादी के अभिवचन को सारतः स्वीकार किया है कि गोपीराम के जीवनकाल में ही बंटवारा हो गया था। प्रतिवादी ने इस संबंध में अभिवचन नहीं किए हैं कि बंटवारा लिखित में हुआ था और न ही कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश किए हैं मौखिक बंटवारे को वादी ने स्वीकार किया है। लेकिन प्रतिवादी ने ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की है कि वादी के पिता को बंटवारे में अन्य कौन सी भूमि प्राप्त हुई थी। अपितु कैलाशी प्र.सा.1 ने पैरा 9 में बंटवारे की स्पष्ट दिनांक बताने में असमर्थता बतायी है और यह बताने में असमर्थता बतायी है कि लोकमन के पास किस गांव में कितनी जमीन थी जमीन रमनपुरा मौजे, गोहद मौजे या बड़गर मौजे में थी या नहीं। अतः बंटवारे के तथ्य

का सबूत का भार प्रतिवादी पर था परन्तु प्रतिवादी यह साक्ष्य से स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि विभाजन उपरांत विवादित भूमि गोपीराम को प्राप्त हुई और अन्य भूमि वासुदेव या उसकी संतान को प्राप्त हुई। अपितु सरस्वती प्र.सा.2 ने पैरा 8 में कथन किया है कि विवादित जमीन लज्जाराम के हिस्से की थी और लज्जाराम आधी जमीन मुन्नालाल व.सा.1 और आधी जमीन सत्यनारायण के नाम कर गये थे। अतः इस साक्षी ने विभाजन उपरांत विवादित भूमि गोपीराम को प्राप्त न होना बताकर लज्जाराम को प्राप्त होना बतायी है जोकि प्रतिवादी के ही अभिवचन से भिन्न और लज्जाराम के उपरांत वादी को आधी भूमि प्राप्त होना बतायी है। मीरा प्र.सा.3 ने भी पैरा 8 में यही स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का लोकमन स्वामी था जो पूर्वजों से प्राप्त पैतृक संपत्ति है और लोकमन के नाम आई है। अतः इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी के विभाजन के तथ्य को खण्डित किया है जिससे प्रतिवादी गोपीराम को विवादित भूमि बंटवारे में प्राप्त होने का तथ्य मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है।

15. दस्तावेजी साक्ष्य से भी खसरा प्र0पी-4 व प्र0पी-5 के अनुसार विवादित भूमि लोकमन के स्वत्व में अंकित है और खसरा प्र0पी-6 में गोपीनाथ का नाम इन्द्राज किया गया है जिसकी कैफियत में बंटवारे का तथ्य उल्लिखित नहीं है मात्र नामांतरण का तथ्य उल्लिखित है। प्रतिवादी ने भी लोकमन से गोपीराम को भूमि विभाजन में प्राप्त होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य से भी विभाजन में विवादित भूमि गोपीराम और उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होना स्पष्ट नहीं होती है।
16. वादी साक्षीगण ने ही उपरोक्तानुसार अलग अलग खेती करने के तथ्य को स्वीकार किया है परन्तु विभाजन में विवादित भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई इस संबंध में प्रतिवादीगण साक्ष्य से उक्त तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः संयुक्त हिन्दू परिवार की उपधारणा करने के भी तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः यह साबित नहीं होता है कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जो मिताक्षरा सिद्धांत बनारस स्कूल से शासित हैं।
17. खसरा प्र0पी-4 लगायत 6 से विवादित भूमि लोकमन के स्वत्व की होना स्पष्ट होती है। विभाजन में गोपीराम को विवादित भूमि प्राप्त होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। कैलाशी प्र.सा.1 ने पैरा 14 में इकार किया है कि विवादित भूमि लोकमन के नाम थी अपितु विवादित भूमि लज्जाराम से क्रय करना बताकर विक्रय के दस्तावेज अस्तित्व में होने के उपरांत भी पेश न करना स्वीकार कर अपने अभिवचन से भिन्न साक्ष्य दी है। सरस्वती प्र.सा.2 ने पैरा 8 में विवादित भूमि लज्जाराम के हिस्से में प्राप्त होना वर्णित किया है जो भी प्रतिवादी के अभिवचन से भिन्न है और मीरा प्र.सा.3 ने पैरा 8 में स्पष्ट कथन किया है कि विवादित भूमि का लोकमन स्वामी है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य में कैलाशी प्र.सा.1 व सरस्वती प्र.सा.2 ने विवादित भूमि लज्जाराम के स्वत्व में होना वर्णित कर अपने मुख्यपरीक्षण कथन और वादोत्तर के अभिवचन को खण्डित किया है। अतः खसरा प्र0पी-4 लगायत 6 के सही होने की उपधारणा प्रतिवादी खण्डित करने में असमर्थ रहे हैं। अतः धारा 117 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन उक्त खसरों के सही होने की उपधारणा की जा सकती है जिससे वादी की मौखिक साक्ष्य को संपुष्टि प्राप्त होती है कि विवादित भूमि लोकमन के स्वत्व की थी।
18. विभाजन के तथ्य को प्रमाणित करने के अभाव में खसरा प्र0पी-6 के अनुसार गोपीराम का नामांतरण किस आधार पर हुआ इस तथ्य का सबूत का भार प्रतिवादीगण पर है। परन्तु प्रतिवादी साक्षीगण विभाजन के अभाव में उक्त तथ्य को

प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः विवादित भूमि लोकमन से प्राप्त पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आती है जिस पर मात्र गोपीराम और कालांतर में उसके उत्तराधिकारियों का नामांतरण होने से यह तथ्य खण्डित नहीं होता है कि विवादित भूमि लोकमन से प्राप्त पैतृक संपत्ति नहीं है। अतः विवादित भूमि के संबंध में यद्यपि वादी साक्षीगण के कथनानुसार प्रथक-प्रथक खेती होती है परन्तु लोकमन के उत्तराधिकारी के रूप में वादी और प्रतिवादीगण का संयुक्त स्वत्व होना प्रमाणित होता है और विनिर्दिष्ट विभाजन के अभाव में संयुक्त अधिपत्य भी होना प्रमाणित होता है। अतः यह साबित होता है कि विवादित राजस्व भूमियां स्व0 लोकमन से प्राप्त वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त स्वत्व व अधिपत्य की संपत्तियां हैं।

19. वादी ने विवादित भूमि के 1/3 भाग पर स्वत्व की प्रार्थना की है। वादपत्र के अभिवचन के अनुसार लोकमन की मृत्यु वर्ष 2006 के 48 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। अतः वर्ष 1956 के उपरांत लोकमन की मृत्यु हुई है जिससे तत्समय जब लोकमन की मृत्यु हुई और उत्तराधिकार खुला तब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभावशील था। लोकमन की निर्वसयती मृत्यु होना स्वीकृत है। अतः धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव से लोकमन की मृत्यु उपरांत प्रथमतः अनुसूची के वर्ग एक में विनिर्दिष्ट संबंधियों को लोकमन के वारिस के रूप में संपत्ति न्यागत होगी। अतः लोकमन की पुत्रियां सरस्वती प्र.सा.2 और बैजन्तीबाई भी थीं जिसका खण्डन वादी ने साक्ष्य से नहीं किया है। अतः तत्समय प्रभावशील धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति न्यागत होने पर लोकमन की पुत्रियां को लोकमन के पुत्र के समान मिताक्षरा सिद्धांतों के अधीन समान स्वत्व प्राप्त हुआ। अतः लोकमन के मृत्यु के समय ग्यादीन, गोपीराम, लज्जाराम, वासुदेव की संतान मुन्नालाल व.सा.1, और पुत्रियां बैजन्तीबाई और सरस्वती प्र.सा.2 उत्तराधिकारी हुए। लज्जाराम की भी निःसंतान मृत्यु होना स्वीकृत है। अतः धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी उसके भाई, बहन और भाई का पुत्र वादी धारा 11 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्वत्व प्राप्त करेंगे। अतः लोकमन की संपत्ति में 1/6 भाग और लज्जाराम की संपत्ति में 1/5 भाग का वादी स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विवादित भूमि पर 1/5 भाग पर ही वादी के अभिवचन के अनुसार उत्तराधिकार से वादी को स्वत्व प्राप्त होगा 1/3 भाग पर नहीं। अतः विवादित भूमि के 1/3 भाग पर ही वादी का स्वत्व व अधिपत्य होना साबित होता है।

20. वादी ने विकल्प में विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व की प्रार्थना की है। परन्तु उपरोक्त विवेचना से विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वत्व की होना सिद्ध हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को अधिपच्युरित किया इस संबंध में भी वादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः ऑस्टर के सिद्धांत के आधार पर वादी विरोधी आधिपत्य के तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है।

21. अतः उपरोक्त विवेचना पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 01 का विनिश्चय नासाबित वाद प्रश्न क्रमांक 02अ का विनिश्चय साबित व वादप्रश्न क्रमांक 02ब का विनिश्चय विवादित भूमि पर 1/5 भाग पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य साबित होने के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 08 पर सकारण निष्कर्ष //

22. मुन्नालाल व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 14.01.06 को प्रतिवादी संतोष व उसकी मां ने विवादित संपूर्ण भूमि बेचने की बात

मोहल्ले के एक-दो लोगों से की तब वादी ने उनसे पूछा कि 1/3 भाग पर उसका हिस्सा है तब संतोष व कैलाशी प्र.सा.1 ने बताया कि विवादित भूमि उनके नाम लिखी है और अब उसे खेती नहीं करते देंगे जब उसने खसरा खतौनी की नकल प्राप्त की तब वादी को ज्ञात हुआ कि लोकमन की मृत्यु के बाद गोपीराम ने वादी की नाबालिगी का अनुचित लाभ उठाते हुए वादी का 1/3 भाग पर नामांतरण नहीं कराया। दिनांक 14.01.06 को वादी को प्रथम बार जानकारी हुई कि विवादित भूमि उसके नाम दर्ज नहीं है। अतिरिक्त मुख्यपरीक्षण में मुन्नालाल व. सा.1 ने कथन किया है कि दिनांक 07.03.06 को नकल प्राप्त करने पर वादी को गलत नामांतरण की जानकारी हुई क्योंकि छल कपट से नामांतरण किए जाने की बात छिपाई गयी थी। बंटवारे के दावे में अवधि बाह्य का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। दावा अंदर अवधि पेश किया है।

23. कैलाशी प्र.सा.1 ने कथन किया है कि बेरुनमियाद दावा पेश किया है। बालाराम प्र.सा.4 ने कथन किया है कि लज्जाराम की मृत्यु के समय उनका एक मात्र वारिस गोपीराम था और लज्जाराम की मृत्यु के बाद गोपीराम का नामांतरण हुआ जिसको मरे 40-45 वर्ष हो चुके हैं जिसके बाद सत्यनारायण का नामांतरण हुआ और सत्यनारायण की मृत्यु के बाद कैलाशीबाई और संतोष का नामांतरण हुआ। संतोष की मृत्यु हो चुकी है। वह 10-12 वर्ष से कैलाशी प्र.सा.1 की तरफ से विवादित जमीन पर खेती करता है और 40-45 वर्ष से गोपीराम, सत्यनारायण व कैलाशी प्र.सा.1 को खेती करता देख रहा है जिसकी जानकारी मुन्नालाल व.सा. 1 को करीब 40-45 साल से है और विवादित भूमि पर मुन्नालाल व.सा.1 का कभी कब्जा नहीं रहा।

24. बालाराम प्र.सा.4 ने कथन किया है कि लज्जाराम के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि पर गोपीराम का नामांतरण हुआ और गोपीराम की मृत्यु के बाद सत्यनारायण और तदोपरांत कैलाशी प्र.सा.1 और संतोष का नामांतरण हुआ। विवादित भूमि पर उन्हीं की खेती हो रही है और 10-12 वर्ष से वह वादग्रस्त भूमि पर कैलाशी प्र.सा.1 की तरफ से खेती करता है और 40-45 वर्ष से गोपीराम, सत्यनारायण व कैलाशी प्र.सा.1 को खेती करते देख रहा है जिसकी जानकारी मुन्नालाल व.सा.1 को भी है। इस साक्षी ने 10-12 वर्ष से कैलाशी प्र.सा.1 की ओर से खेती करना बताया है और प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में 10-12 वर्ष के पूर्व गोपीराम द्वारा ही विवादित भूमि पर खेती करना बताया है। लेकिन वर्ष 2007 में कैलाशी प्र.सा.1 के कथन में कैलाशी प्र.सा.1 ने पैरा 15 में कथन किया है कि गोपीराम के समय से ही विवादित भूमि पर कल्ला मुसलमान खेती करता है। वह कितने साल से खेती कर रहा है उसे नहीं मालूम और पैरा 11 में कथन किया है कि उसने भूमि कभी नहीं देखी। अतः कैलाशी प्र.सा.1 के कथन से बालाराम प्र.सा. 4 के इस तथ्य का खण्डन होता है कि वह वर्ष 2004 के उपरांत से विवादित भूमि पर खेती कर रहा है। इस साक्षी ने लोकमन के लज्जाराम और गोपी के अलावा अन्य संतानों की भी जानकारी स्पष्ट नहीं की है। अतः मुन्नालाल व.सा.1 की जानकारी में प्रतिवादी का अधिपत्य होने का मुख्यपरीक्षण में दिया कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसे मुन्नालाल व.सा.1 की ही जानकारी नहीं है। अतः अधिपत्य के संबंध में बालाराम प्र.सा.4 द्वारा दिए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

25. वादी ने न्यायदृष्टांत नरोतीदास बनाम फूलकौर व अन्य ए.आई.आर. 2007 पंजाब और हरियाणा 157 पेश किया है जिसके अनुसार विभाजन के बाद में परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

26. परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 110 के अधीन कुटुंब की संपत्ति से अपवर्जित किए जाने पर अपने अंश के लिए अधिकार को प्रवर्तनीय कराने के लिए जब वादी को उपवर्जन का ज्ञान हो उसके 12 वर्ष के भीतर वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा निर्धारित है।
27. वर्तमान वाद वादी ने विभाजन के लिए पेश नहीं किया है अपितु संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में उसका नामांतरण न होने से अपने अंश अधिकार की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अतः नरोत्तीदास का उपरोक्त न्यायदृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होगा। अपितु वादी को उपवर्जन का ज्ञान होने के 12 वर्ष के अंदर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। मुन्नालाल व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11,12 में कथन किया है कि नामांतरण उसकी जानकारी में नहीं हुआ और अतिरिक्त मुख्यपरीक्षण के उपरांत किए गए प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में भी यही कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि नामांतरण कितने वर्ष पहले हुआ था। अतः साक्षी को नामांतरण की जानकारी होना स्पष्ट नहीं हुआ है ना ही प्रतिवादीगण ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश किए हैं कि वादी को नामांतरण की सूचना प्रेषित की गयी थी। नामांतरण के द्वारा ही राजस्व अभिलेख में लोकमन की मृत्यु के उपरांत गोपीराम का इन्द्राज किया गया है जिससे वादी उपवर्जित हुआ है और उक्त नामांतरण वादी की जानकारी में होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः वादी को नामांतरण के समय से उपवर्जन का ज्ञान होना प्रमाणित नहीं होता है।
28. मुन्नालाल व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि ग्यादीन पंचायत सेक्रेटरी थे और लोकमन की मृत्यु के समय उसकी आयु 5-6 वर्ष थी और कचहरी का कार्य गोपीराम देखते थे। इस तथ्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः मुन्नालाल व.सा.1 जोकि लोकमन की मृत्यु के समय 5-6 वर्ष का था, नामांतरण की विधिक प्रक्रिया की जानकारी होना भी स्वाभाविक रूप से होना प्रतीत नहीं होता है। साक्षी रामेश्वर व.सा.3 ने प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि विक्रय करने की बातचीत करना बताया है। जिस तथ्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गयी है। कैलाशी प्र.सा.1 ने पैरा 17 में इंकार किया है कि उसने रामेश्वर व.सा.3 से विवादित भूमि विक्रय करने की बातचीत की थी। अतः मुन्नालाल व.सा.1 को विक्रय की बातचीत पर ही स्वयं का नामांतरण न होने की जानकारी होना सिद्ध होता है। अतः वर्ष 2006 में जानकारी होने के उपरांत परिसीमा अवधि में यह दावा प्रस्तुत किया गया है।
29. अतः इस वाद प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।
//वाद प्रश्न क्रमांक 07 पर सकारण निष्कर्ष//
30. मुन्नालाल व.सा.1 ने अतिरिक्त मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि लज्जाराम की मृत्यु के समय उसकी कोई पुत्र पुत्रियां नहीं थीं और तत्समय प्रचलित कारणों के अनुसार विरासत का अधिकार नहीं था। लज्जाराम का हिस्सा उसके भाइयों को प्राप्त हुआ सरस्वती प्र.सा.2 स्वयं प्रकरण में उपस्थित होकर प्रतिवादी के रूप में कथन दे चुकी है इसके बावजूद भी लज्जाराम की पुत्री सरस्वती प्र.सा.2 और बैजन्ती के पुत्र बालकृष्ण को पक्षकार बनाया जा चुका है इसलिए प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष नहीं है। इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया और प्रतिपरीक्षण में मुन्नालाल व.सा.1 ने कथन किया है कि उसने सरस्वतीबाई प्र.सा.2 के पुत्रों से पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वर्तमान वाद में वादी ने सरस्वती प्र.सा.2 और बैजन्तीबाई की संतान को आदेश दिनांक 29.04.15 के अनुसार पक्षकार बनाया है।
31. वर्तमान वाद संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति होने के आधार पर वादी

ने उत्तराधिकार के रूप में स्वत्व की प्रार्थना की है और लोकमन के सभी जीवित उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया है। अतः प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारों को वादी ने प्रकरण में पक्षकार बनाया है। अतः प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना सिद्ध नहीं होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 7 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 3, 4 व 5 पर सकारण निष्कर्ष //

32. कैलाशी प्र.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि का बाजार मूल्य दस लाख रुपये है और उसके अनुसार वादी ने न्यायशुल्क अदा नहीं किया। वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। विवादित भूमि राजस्व देय भूमि है। जिसका मूल्यांकन निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(4)(डी) के अनुसार वादी करने हेतु स्वतंत्र है जो किस प्रकार अनुचित है यह प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है और घोषणा हेतु मूल्यांकन न्यायदृष्टांत मूलचन्द्र बनाम खुर्शीद बी ए.आई.आर. 1984 म0प्र0 32 के आलोक में भू-राजस्व के बीस गुना के आधार पर होगा। भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार नहीं। अतः वादी ने घ घोषणा हेतु भी उचित मूल्यांकन किया है।

33. न्यायशुल्क हेतु वादी ने पारिणामिक अनुतोष के अभाव में निषेधाज्ञा हेतु मूल्यानुसार और घोषणा हेतु न्यायशुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन निश्चित न्यायशुल्क संदाय किया है। अतः वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है।

34. वादी द्वारा किये गये वाद मूल्यांकन उचित सिद्ध होने से इस न्यायालय को वित्तीय श्रवण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3, 4 व 5 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष //

35. उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी विवादित भूमि के 1/5 भाग पर स्वत्व प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वाद अशतः स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञाप्रत किया जाता है। विवादित भूमि का विभाजन होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः वादी प्रतिवादीगण के साथ सहस्वामी और सहअधिपत्यधारी के रूप में ही होना सिद्ध हुआ है और सहस्वामी के विरुद्ध अधिपत्य संरक्षण हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

1. यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 445 रकवा 0.27 आरे, 447 रकवा 0.31 आरे, 448 रकवा 0.34 आरे, 465 रकवा 0.07 आरे, 466 रकवा 0.58 आरे, 467 रकवा 0.58 आरे, 468 रकवा 0.47 आरे, 469 रकवा 0.44 आरे, 470 रकवा 0.15 आरे, 472 रकवा 0.50 आरे, 449 रकवा 0.30 आरे कुल किता 11 कुल रकवा 5.01 आरे जिसके बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 2195, 2201, 2196, 2197/1, 2197/2, 2217, 2218, 2220, 2222, 2223, 2121, 2221, 2223, 2224 थे स्थित मौजा गंगादास का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड का 1/5 भाग का वादी भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी है।

2. यह घोषित किया जाता है कि वादी विवादित भूमि के 1/5 भाग पर स्वयं का नामांतरण कराने का अधिकारी है।

3. प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह विवादित भूमि के 1/5 भाग से अधिक भाग के किसी विशिष्ट भाग को बिना विभाजन के हस्तांतरित न करें।

4. प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 स्वयं के साथ वादी का आनुपातिक वाद व्यय वहन करेंगे शेष प्रतिवादीगण अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क

प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।
तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला सिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)